कोपासाह वैश्विक सिम्पोजियम 2019 में सम्मानपूर्ण व्यवहार संहिता

इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली (भारत)

15-19 अक्टूबर 2019

प्रस्तावना:

1. सिम्पोजियम के दौरान सम्मानपूर्ण व्यवहार संहिता (इस के बाद 'संहिता' उल्लेखित) 15 से 18 अक्टूबर 2019 को आयोजित हो रहें कोपासाह वैश्विक सिम्पोजियम के दौरान अपेक्षित आदर्श व्यवहार से सम्बंधित है ।
2. यह संहिता उन सभी पर लागू होती है जो सिम्पोजियम में भाग ले रहें हैं [प्रतिनिधि मंडल, स्वैच्छिक कार्यकर्ता, वक्ता, संयोजक, नियुक्त किया गया स्टाफ, आयोजन स्थल पर उपस्थित हर एक व्यक्ति (इसमें सिम्पोजियम आयोजन स्थान, आवासीय स्थान और दोनों के बीच का मार्ग भी शामिल है।)]
3. इस संहिता का उद्देश्य है सभी के लिए, विशेषकर उनके लिए जो सार्वजानिक स्थानों में असुरक्षित हो सकते हैं जैसे महिलाएं, बच्चे, विभिन्न यौनिक उन्मुक्खिकरण व लैंगिक पहचान वाले(SOGI), विभिन्न धर्म, सजातीयता से जुड़े सदस्य, इत्यादि, हेतू सुरक्षित, समावेशी, नीतिपरक व सम्मानपूरक कार्य स्थल का सृजन करना ।

संहिता :

1. सभी सहभागियों से अपेक्षित है कि वे सभी के साथ, विशेषकर असुरक्षित महसूस करने वाले व्यक्तियों एवं समूहों के प्रति नैतिकता, सत्यनिष्ठा व सम्मानपूर्ण व्यवहार के सर्वोच्च मानकों के अनुसार व्यवहार करना । कानून व नीति के अनुसार इसमें निम्न शामिल हैं - महिलाएं, बच्चे, विभिन्न यौनिक उन्मुक्खिकरण व लैंगिक पहचान वाले(SOGI), विभिन्न धर्म, सजातीयता से जुड़े सदस्य, इत्यादि ;
2. सभी सहभागियों से अपेक्षित है कि वे ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी की सांस्कृतिक, धार्मिक, सजातीय या पहचान से जुडी भावनाओं या गरिमा को ठेस पहुंचे । असम्मानजनक व्यवहार यानि कि आघात पंहुचाना, दुर्व्यवहार करना, दूसरों को नीचा दिखाना, धमकीपूर्ण व्यवहार, शारीरिक चोट, सहकर्मी के निजी मामले में दखल करना, किसी भी तरह की यौनिक हिंसा - मौखिक व शारीरिक दोनों ।
3. जेंडर, यौनिक उन्मुखिकर्ण, लैंगिक पहचान, क्षमता, नस्ल, जाति या अन्य कारक जो किसी की गरिमा व आत्म सम्मान से जुड़े हैं, के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना करना ।
4. सभी सहभागियों से अपेक्षित है कि वे भारत में लागू सभी कानूनों, नीतियों, विधियों, नियमों व अधिनियमों का पालन करें । इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं -

a. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (बचाव, रोकथाम व निवारण) अधिनियम, 2013 जिसके अनुसार यौन उत्पीडन की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आने वाला पुरुषों का व्यवहार निषेध है जोकि इस वेब साईट पर उप्लब्ध है: http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/77331401.pdf

b. प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफ्फेंस (पोक्सो)एक्ट, 2012 जिसके अन्तर्गत बच्चों के किसी भी तरह का यौन अपराध निषेध है जोकि इस वेब साईट पर उप्लब्ध है: https://wcd.nic.in/sites/default/files/childprotection31072012.pdf

c. सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 या COTPA 2003, के अंतर्गत अन्य के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान निषेध है, जोकि इस वेब साईट पर उप्लब्ध है:

http://www.hp.gov.in/dhsrhp/COTPA%20Act-2003.pdf

2. यौन उत्पीडन के खिलाफ व शिकायत निवारण हेतू समिति : एक समिति गठित की गयी है जिसमें निम्न सदस्य हैं :
   a. सुनीता बन्देवार, FMES, भारत (संयोजक / पीठासीन अधिकारी) - ईमेल- sunita.bandewar@gmail.com
   b. मारटा शाफ़, ग्लोबल हेल्थ जस्टिस व गवर्नेंस - यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलंबिया, न्यूयॉर्क (सह संयोजक GHJG)- ईमेल: mls2014@cumc.columbia.edu
   c. मोसेस मुलुम्बा, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, यूगांडा (संयोजक, कोपासाह संचालन समिति सदस्य)- ईमेल: mulumba@cehurd.org
   d. क्लोडिया लेमा, सालूद सिन लिमिटेस, - ईमेल: claudialema@gmail.com

सहभागी द्वारा सहमती :

- ✓ मुझे **कोपासाह वैश्विक सिम्पोजियम 2019 में सम्मानपूर्ण व्यवहार संहिता** के बारे में जानकारी दी गयी है तथा मैं इसके बारे में जानती / जानता हूँ ;
- ✓ मैं इस मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा अधिनियमित नीतियों के बारे में जानती / जानता हूँ । मुझे बताया गया है कि उक्त कानूनों की प्रतिलिपि कोपासाह प्रदर्शनी बूथ में उपलब्ध है ।
- ✓ मुझे यौन उत्पीडन के खिलाफ व शिकायत निवारण समिति के बारे में बताया गया है ।
- ✓ मैं इन सभी नीतियों का पालन करने व सम्मानपूर्ण व्यवहार संहिता के लिए प्रतिबद्ध रहने हेतु सहमत हूँ ।

15 अक्टूबर 2019
नई दिल्ली, भारत

[कृप्या इस संहिता से सहमती के तौर पर इस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करें]

सिम्पोजियम सहभागी

नाम .....